रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2006/अग्रहायण 2, 1928
No. 1405] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2006/AGRAHAYANA 2, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2006

का.आ. 2008(अ).— यतः बोडो सिक्युरिटी फोर्स जिसका परिवर्तित नाम अब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है (जिसे इसमें इसके पश्चात एन.डी.एफ.बी. कहा गया है) का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर बोडोलैण्ड को 'मुक्त कराना', जिसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र भारत से अलग हो जाए और भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए उस क्षेत्र के समरुचि संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और इस प्रकार बोडोलैण्ड को भारत से अलग कराना है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एन.डी.एफ.बी. शपथपूर्वक हिंसा त्यागने पर सहमत होने के बावजूद लगतार

(i) पृथक बोडोलैण्ड स्थापित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विच्छिन्न करने वाले या विच्छिन्न करने का आशय रखने वाले अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है;

(ii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए अन्य विधिविरुद्ध संगमों, जैसे यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक-मुइवाह) जैसे संगठनों के साथ संबद्ध रहा है;

(iii) अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण में कई हिंसक और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था, इस प्रकार उसने सरकार के प्राधिकार को नजरअंदाज किया है और जनता में आतंक और संत्रास फैलाया है;

(iv) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए वित्त पोषण और योजनाओं के निष्पादन की दृष्टि से फिरौती के लिए अपहरण के कार्यों के अतिरिक्त व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों से निधियाँ उगाहने में संलिप्त ;

(v) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखने के उद्देश्य हेतु नए कॉडरों की भर्ती के लिए व्यवस्थित अभियान चलाना;

(vi) गैर-बोडो लोगों में डर और असुरक्षा फैलाने और उन्हें बोडो क्षेत्रों से प्रवास के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हत्याकाण्ड और जातीय हिंसा फैलाना, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं, संपत्ति का विध्वंस और हजारों गैर बोडो लोगों का असम के बोडो प्रभुत्व वाले इलाकों में स्थित उनकी रोजी-रोटी और घरों से निर्गमन हुआ;

(vii) अपने पृथकतावादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए देश की सीमा से पार कैंपों और छिपने के ठिकानों की स्थापना करना;

(viii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए अपने संघर्ष में शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों की भारत-विरोधी शक्तियों की सहायता प्राप्त करना, आदि;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल है:-

(i) 2004 में हिंसा के 58 मामले हुए जिसमें सुरक्षा बलों के एक कार्मिक सहित 60 व्यक्ति मारे गए;

(ii) 2005 में हिंसा के 21 मामले हुए जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए;

(iii) 2006 (31 अगस्त, 2006) में हिंसा के 15 मामले हुए जिसमें सुरक्षा बलों के 5 कार्मिकों सहित 9 व्यक्ति मारे गए।

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, एन.डी.एफ.बी. के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि एन.डी.एफ.बी. के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो संगठन पुन: संगठित हो सकता है और पुन: स्वयं को शस्त्र से सज्जित कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसा, आतंकवादी और पृथकतवादी क्रियाकलापों में लग सकता है, निधि आदि का संचय कर सकता है और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे एन.डी.एफ.बी. को तात्कालिक प्रभाव से, विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक हो जाता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि एन.डी.एफ.बी. को तात्कालिक प्रभाव से; विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जा सकेगा, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 11011/48/2006/एन. ई.-III]
नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2006

S.O. 2008(E).— Whereas, the Bodo Security Forces since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as the NDFB) has as its professed aim, the " Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of the said areas from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region and to carry on struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organizations of that region and thereby, the secession of Bodoland from India;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the NDFB having agreed to abjure violence has continued to –

(i) indulge in illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like the United Liberation Front of Asom and outfits like the National Socialist Council of Nagaland (Isac-Muviah) to create a separate Bodoland;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people;

(iv) indulge in extortions of money from businessmen, Government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(v) embark on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;

(vi) create carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;

(vii) establish camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

(viii) obtain assistance from, anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland;

And Whereas the Central Government is further of the opinion that the violent activities include -

(i) 58 violent incidents in 2004, killing 60 persons including one personnel of security forces;

(ii) 21 violent incidents in 2005, killing 4 persons;

(iii) 15 violent incidents in 2006(upto 31st August, 2006), killing 9 persons including 5 personnel of security forces.

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that unless the unlawful activities of the NDFB are kept under control, the organization may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare the NDFB as an unlawful association with immediate effect;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Boroland (NDFB) as an unlawful association;

The Central Government, is of further opinion that it is necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/48/2006/NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

3699 GI/06—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.